

उत्तराखण्ड शासन,

आवास अनुभाग-2

संख्या- /V-2/07(एल0यू0सी0)16/2018

देहरादून : दिनांक 18 जुलाई, 2018

विज्ञप्ति

चूंकि, राज्य सरकार ऋषिकेश महायोजना-2011 में संशोधन जैसा कि नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित है, करना चाहती है। अतएव, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) संशोधन अधिनियम, 2013 की धारा-13 की उपधारा-03 के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना जनता से प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने के दृष्टि से प्रकाशित की जाती है। सभी आपत्तियाँ एवं सुझाव उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार को सम्बोधित एवं लिखित रूप से 03 प्रतियों में प्रेषित की जानी चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के समाचार से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त होंगे। निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थल/ग्राम का नाम	भू-उपयोग हेतु प्रस्तावित खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	महायोजना में वर्तमान भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	463	695.56	कृषि	पयर्टन
2	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	464	56.65	कृषि	पयर्टन
3	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	465	70.00	कृषि	पयर्टन
4	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	466	—	कृषि	पयर्टन
5	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	467	62.51	कृषि	पयर्टन
6	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	468	58.47	कृषि	पयर्टन
7	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	469	26.53	कृषि	पयर्टन
8	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	471	100.00	कृषि	पयर्टन
9	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	472	139.81	कृषि	पयर्टन
10	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	474	170.62	कृषि	पयर्टन
11	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	475	161.58	कृषि	पयर्टन
12	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	476	179.91	कृषि	पयर्टन
13	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	477	223.69	कृषि	पयर्टन
14	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	478	210.00	कृषि	पयर्टन
15	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	479	170.00	कृषि	पयर्टन
16	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	480	240.00	कृषि	पयर्टन
17	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	482	160.00	कृषि	पयर्टन
18	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	483	140.00	कृषि	पयर्टन
19	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	484	160.00	कृषि	पयर्टन
20	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	485	180.00	कृषि	पयर्टन
21	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	486	110.00	कृषि	पयर्टन
22	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	487	140.00	कृषि	पयर्टन
23	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	489	330.00	कृषि	पयर्टन
24	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	491	50.00	कृषि	पयर्टन
25	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	492	50.00	कृषि	पयर्टन
26	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	493	60.00	कृषि	पयर्टन

27	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	494	110.00	कृषि	पर्यटन
28	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	495	260.00	कृषि	पर्यटन
29	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	496	150.00	कृषि	पर्यटन
30	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	481 और 497 के बीच में	335.00	कृषि	पर्यटन
			335.00		
31	ग्राम घुघत्याणी तल्ली	481	460.00	कृषि	पर्यटन
	कुल		5135.36		

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
सचिव ।

संख्या- 1079/V-2/07(एल0यू0सी0)16/2018-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दूनघाटी क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना दिनांक 01.02.1989 एवं दिनांक 14.09.2006 के क्रम में प्रेषित।
- 2- उपाध्यक्ष, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
- 3- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
- 4- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव ।